

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 17.06.2026

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10803/डॉ० नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से. (2014), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10803/पटना-15, दिनांक: 17.06.2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग) /सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत डॉ० नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से.(2014) द्वारा धारण किए जाने वाले पद को उनके आलोच्य पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

सरकार के अवर सचिव।